उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

आयोग की वेबसाइट–www. ukpsc.gov.in

01334–244143, 242331, 242332
18001804143 (Toll Free)

विज्ञापन संख्या – 163/53/01/सा0ग्रे0चि0/डी0आर0/सेवा–1/2014–15

दिनाँक 17 सितम्बर, 2014

साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी (ऐलोपैथिक)

ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि– **09 अक्टूबर, 2014 (रात्रि 11.59 बजे तक)**

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– **13 अक्टूबर, 2014**

आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि– **21 अक्टूबर, 2014**

<u>अति महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

01– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

02– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 09 अक्टूबर, 2014 तक** अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन भरने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी "Online Application" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

03– अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट (आवेदन पत्र में दावित शैक्षिक योग्यता, अनुभव, परीक्षा शुल्क के बैंक चालान की छायाप्रति तथा आरक्षण सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति सहित) **दिनॉक 21 अक्टूबर, 2014 तक** आयोग कार्यालय में जमा करा दें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा न कराने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, यद्यपि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ससमय कर दिया गया हो। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की एक प्रति भविष्य में संदर्भ हेतु सुरक्षित रखें।

04– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

05– आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु, वैकल्पिक विषय एवं परीक्षा केन्द्र आदि (जो भी लागू हो) में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

06– एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

07– ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

08– प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

09– निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन भरना, परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग कार्यालय में जमा कराना ही प्रश्नगत परीक्षा हेतु आवेदन करने की पूर्ण प्रक्रिया मानी जाएगी।

10– रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में पाठ्यक्रम, अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी ।

64

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग के अन्तर्गत **साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी (ऐलोपैथिक)** के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों की संख्या : रिक्तियों की कुल संख्या **747** है, जिनका विवरण निम्नवत् है –

क्रम सं0	श्रेणी	कुल रिक्त पद	उ0 महिला	स्व0सं0से0 के आश्रित	पूर्व सैनिक	विकलांग
01.	अनु0जाति	195	58	04	10	06
02.	अनु0जनजाति	08	02	—	—	—
03.	अ0पि0वर्ग	145	43	03	07	04
04.	सामान्य	399	120	08	20	12
महायोग		**747**				

टिप्पणी : 1: क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं राज्य आंदोलनकारी/आश्रित को प्रदत्त आरक्षण क्रमशः रिट याचिका सं0 330 वर्ष 2013 एवं PIL सं0 67 वर्ष 2011 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश तथा तद्क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के क्रम में सम्पादित की जाएगी।
2: उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनॉक 25.03.2011, जिसके द्वारा चिकित्साधिकारी (श्रेणी–ख) पद हेतु उपयुक्त विकलांगजन की श्रेणी ओ0एल0, पी0बी0 चिन्हित की गयी है।

02. अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं :–

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता – (i) इण्डियन मेडिकल कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम से कम एम0बी0बी0एस0 की उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता।

परन्तु यह कि नीचे उल्लिखित परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा मान्य समकक्ष शैक्षणिक उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को चयन में वरीयता दी जायेगी –

क्र0सं0	पदनाम	शैक्षिक उपाधि
01.	शल्य चिकित्सक (सर्जन)	एम0एस0–(जनरल सर्जरी), एम0एस0–वैसकुलर सर्जरी/ एम0सी0एच0 आंकोलॉजी/एम0सी0एच0–सर्जिकल गैस्ट्रोएण्ट्रोलोजी /एम0सी0एच0 /डी0एम0–आंकोलॉजी /डी0एम0 –रिह्ोमेटोलॉजी
02.	निश्चेतक (एनेस्थेटिस्ट)	एम0डी0/एम0एस0 (एनेस्थीसिया) /डी0ए0एनेस्थीसिया /डी0एम0 –कार्डियक एनेस्थेटिस्ट
03.	विकृति विज्ञानी (पैथोलॉजिस्ट)	एम0डी0 (पैथोलॉजी)/ डी0सी0पी0, डी0एम0–हैमेटोलॉजी, पेथोलॉजी /एम0डी0 माइक्रोबायोलॉजी /एम0डी0–ब्लड बैकिंग एवं इम्युनो –हिमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रान्सफ्यूजन/डी0एम0–क्लीनिकल हिमेटोलॉजी
04.	चिकित्सक (फिजीशियन)	एम0डी0 (मेडिसिन), डी0एम0–नैफ्रोलॉजी /डी0एम0 –एण्डोक्राइनोलॉजी /पी0एच0डी0 –ह्यूमनजैनेटिक्स/एम0डी0 –ह्यूमन मैटाबोलिज्म /डी0एम0–फार्माकोलॉजी/डी0एम0– गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी
05.	एक्स–रे विज्ञानी (रेडियोलॉजिस्ट)	एम0डी0–(रेडियोलोजी)/डी0एम0आर0डी0/डी0एम0आर0टी0 /डी0एम0 –न्यूरोरेडियोलॉजी
06.	ह्रदय रोग विज्ञानी (कार्डियोलॉजिस्ट)	एम0डी0 (मेडिसिन) /डिप–कार्ड /डी0एम0–कार्डियोलॉजी /डी0एम0 –पल्मोनरी मेडिसिन/डी0एम0– पैडियट्रिक कार्डियोलॉजी
07.	आंख नाक गला शल्य चिकित्सक (ई0एन0टी0 सर्जन)	एम0एस0 (ई0एन0टी0)/डी0एल0ओ0/डी0एन0बी0
08.	विकलांग विज्ञानी शल्य चिकित्सक (आर्थोपेडिक सर्जन)	एम0एस0 (आर्थ0)/ डी0आर्थ0
09.	नेत्र शल्यक (आप्थोल्मिक सर्जन)	एम0एस0 (ऑप्थल्माकलोजी), डी0ओ0एम0एस0

64

10.	बालरोग विशेषज्ञ (पिडिएट्रिक स्पेशलिस्ट)	एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स), डी0सी0एच0 / डी0एम0–पैडियट्रिक आंकोलॉजी / एम0सी0एच0–पैडियट्रिक सर्जरी
11.	चर्मरोग विशेषज्ञ (डरमेटोलॉजिस्ट)	एम0डी0–स्किन / वी0डी0 / डी0वी0डी0
12.	टी0बी0 / चेस्ट विशेषज्ञ	एम0डी0 (टी0बी0) / डी0टी0सी0डी0 / एम0डी0चेस्ट / डिप चेस्ट / एम0डी0–पल्मोनरी मेडिसिन
13.	स्त्रीरोग विशेषज्ञ (गायनाकोलॉजिस्ट)	एम0एस0 / एम0डी0–गायनोकालौजी / आब्टेट्रिक्स / डी0जी0ओ0
14.	प्लास्टिक सर्जन	एम0एस0 / एम0सी0एच0 बर्न प्लास्टिक सर्जरी
15.	तंत्रिका विज्ञानी (न्यूरोलॉजिस्ट)	एम0डी0 / डी0एम0–न्यूरोलॉजी
16.	साईकैट्रिस्ट	एम0डी0–साईकैट्रिस्ट / डिप्लोमा इन साइकोलोजिकल मेडिसिन
17.	रेडियोथैरेपिस्ट	एम0डी0 रेडियोथेरेपी
18.	माइक्रो–बायोलॉजिस्ट	एम0एस0सी0–मेडिकल बैक्टिरियोलॉजी / एम0एस0सी0–माइक्रोबायोलॉजी / डिप्लोमा इन बैक्टियोलॉजी / पी0एच0डी0–माइक्रोबायोलॉजी
19.	न्यूरो सर्जन	एम0एस0–न्यूरो सर्जरी / एम0सी0एच0–न्यूरो सर्जरी
20.	यूरोलॉजिस्ट	एम0सी0एच0–यूरोलॉजी
21.	नेफ्रोलॉजिस्ट	डी0एम0–नेफ्रोलॉजी
22.	चेस्ट सर्जन	एम0सी0एच0–कार्डियक थोरेसिक सर्जरी

(ii) सेवा में नियुक्ति से पूर्व उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

अधिमानी अर्हता – अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने

(एक) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता **(i)** के परन्तुक में निर्धारित उपाधि प्राप्त की हो, या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

03. वेतनमान:– वेतन बैण्ड–3, ₹ 15600–39100 ग्रेड पे–5400/– समस्त परास्नातक डिप्लोमाधारक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी को यथा लागू वेतनमान में 03 वेतनवृद्धि, विशेषज्ञ परास्नातक डिग्रीधारक चिकित्सा अधिकारी को यथा लागू वेतनमान में 05 वेतनवृद्धि, सुपर स्पेशलिस्ट (एम0सी0एच0 / डी0एम एवं समकक्ष उपाधिधारक) चिकित्सा अधिकारी को यथा लागू वेतनमान में 07 वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा, जो वेतन का भाग होगा।

04. पद का स्वरूप व पेंशन योजना:– राजपत्रित/अंशदायी पेंशन योजना/अस्थायी (भविष्य में चलते रहने की सम्भावना)

05. आयु सीमा :– आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2014 है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

06. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

07. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

08. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

09. शारीरिक स्वस्थता :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा कि जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्तपुस्तिका, खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषृद की परीक्षा उत्तीर्ण करे;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा परिषद् की परीक्षा की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

10. आरक्षण : ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग) तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे। क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में मा0

उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश के क्रम में तथा तत्क्रम में शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के क्रम में प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारुप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख "परिशिष्ट–1" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

11. आवेदन पत्र का स्वरूप :– **साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी (ऐलोपैथिक)** पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् है:–

01.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	09 अक्टूबर, 2014
02.	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	13 अक्टूबर, 2014
03.	आवेदन पत्र का प्रिंट आउट (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि	21 अक्टूबर, 2014

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(01) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जाएं।

(02) वेबसाइट पर "**Examination**" शीर्षक को Click करें एवं लिंक बटन New User Sign Up में प्रवेश करें।

(03) लिंक बटन "**New User Sign Up**" के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लिंक बटन New Registration दिखाई देगा, जिसमें निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित प्रविष्टियां भरें, एवं प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँचने के उपरान्त Submit करें।

(04) पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को User Id एवं Registration Number प्राप्त होगा।

(05) पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु "**Examination**" शीर्षक के अन्तर्गत लिंक बटन Sign In द्वारा प्रवेश करें एवं लिंक बटन Click Here For Online Application Form को खोले।

(06) ऑनलाइन आवेदन हेतु **Medical Officer (Allopathic)** के सम्मुख "Click Here" पर जाएं एवं Continue करे।

(07) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(08) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Reset पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Continue पर Click करें।

(09) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format (**40 kb से अनधिक**) एवं हस्ताक्षर JPG Format (**20 kb से अनधिक**) में अपलोड करने होंगे।

(10) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी Update पर Click करे तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में I Agree पर Click करें।

(11) अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया है, का संदेश प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट समस्त संलग्नकों सहित नियत तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा करा दें तथा आवेदन पत्र की एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंट आउट निकाल लें।

(13) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। **उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।**

13. शुल्क :– ऑनलाईन आवेदन के "Candidate Registration" का प्रारुप भरने पर ई–चालान का प्रिंट आउट अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे, जिसमें दो प्रतियां होंगी। उक्त ई–चालान के माध्यम से ही अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक, जिसका ई–चालान अभ्यर्थी ने प्रिंट किया है, की किसी शाखा में अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करेंगे। ई–चालान के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0 सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹ 100/–
02	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	₹ 100/–
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	₹ 60/–
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)	₹ 60/–
05	उत्तराखण्ड विकलांग	₹ 60/–
06	पूर्व सैनिक	₹ 60/–

14. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स /मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन) एवं 2014 (द्वितीय संशोधन) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) चयन हेतु साक्षात्कार के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। साक्षात्कार के पूर्व/तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(4) **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में अस्वीकृत ज्ञाप डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अस्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।**

(5) **साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार ज्ञाप डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।**

(6) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र (जो साक्षात्कार के समय आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा) भरना होगा।

(7) साक्षात्कार के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होंगी तथा इसी समय अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(8) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(9) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(10) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(11) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(13) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(14) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रकिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(16) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 (यदि लागू हो) तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाए।

(17) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित करें।

(18) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(19) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(20) साक्षात्कार परीक्षा हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित है। मात्र साक्षात्कार की दशा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तत्पश्चात् मेरिट सूची के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयन परिणाम का निर्धारण किया जायेगा।

(21) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) आयोजित करायी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा किए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आहूत किये जायेंगे जो आवेदन पत्रों की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकता होने पर आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा सफल घोषित किये जायेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा की दशा में सामान्य श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013) एवं (द्वितीय संशोधन–2014) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने की दशा में पाठ्यक्रम, परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केन्द्र की सूचना यथासमय पृथक से वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो संभावित स्क्रीनिंग परीक्षा हरिद्वार नगर में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत राज्य के अन्य स्थानों पर भी परीक्षा केन्द्र बनाए जा सकते हैं।

(22) अधिमानी अर्हता के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में दावित अधिमानी अर्हता का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। अधिमानी अर्हता में वांछित अनुभव के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारुप परिशिष्ट–2 पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अन्य कोई प्रारुप मान्य नहीं होगा।

नोट : अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(एस0एन0 पाण्डेय)
सचिव। 16.05.2014